मुख्य अभियंता–1 (पटना) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– मु0अ0–1/प्रा0–04–78/2025 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

ई0 राम मनोहर ठाकुर,
मुख्य अभियंता 1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **आरा।**

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बक्सर** के अधीन **शीर्ष MMGSUY** अन्तर्गत स्वीकृत कुल **34 (चौत्तीस)** अदद योजनाओं का पुनर्निमाण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक **624** अनु0 दिनांक **10.07.2025** एवं **634** अनु0 दिनांक **16.07.2025**

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल **34 (चौत्तीस)** अदद पथों के प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
3. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगें।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल /पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अचंल, **आरा** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे िकवह स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ के कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्राक्कलन करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष MMGSUY योजनान्तर्गत प्रावैधिक स्वीकृ[ति] प्रदत योजनाओं की सूचीः—

क्र0 सं0	प्रखंड	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति अनुमोदन की राशि (मूल कार्य, अनुरक्षण कार्य एवं आकस्मिक कार्य) (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (मूल कार्य, अनुरक्षण कार्य, प्रशासनिक एवं आकस्मिकता) (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rajpur	Rajpur Katriya Path Me Mushar Toli To Gyanichak Hote Huye Chaubepur Tak	3.100	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	196.613	172.958
2	Rajpur	Buxar Dinara Road To Radha Singh Ke Dera Sisaundha	2.000	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	226.344	198.069
3	Rajpur	Tiyara Dhansoi-Bharakhara To Kanehari Gram	4.400	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	278.613	246.092
4	Rajpur	Buxar Dinara Road To Sisaundha Paswan Tola	1.500	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	140.975	123.740
5	Rajpur	Repair Of Road From Jamauli Sauri To Itawa	4.600	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	381.333	351.579
6	Rajpur	Tiyara Dhansoi Road To Kharwania Paschim Dera	2.000	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	177.936	156.426
7	Rajpur	Chausa Main Canal To Semarhiya Gram Hote Huye Harijan Toli Tak	5.000	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	306.947	269.986
8	Rajpur	Itawan Jamauli Path To Dewadiya Harijan Toli Tak	1.600	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	180.020	158.210
9	Rajpur	Samahuta Pradhanmantri Path To Mohariyan Harijan Toli Tak	2.340	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	147.812	130.105
10	Rajpur	Rampur Line Nahar Me Naya Pul To Gajarahi Tak	3.800	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	351.946	307.919
11	Rajpur	Hethua Sisrah Katariya Path To Sisrah Harijan Toli Tak	1.350	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	93.911	81.02
12	Rajpur	Jamauli Daitra Baba Kauwakhuj Road To Parbat Chak	0.900	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	82.008	72.202
13	Rajpur	Pathkhauliya PMGSY Road To Pal Tola	1.900	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	157.717	137.77
14	Rajpur	Jamaica Daitra Road To Sitabpur	1.600	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	165.822	145.927
15	Rajpur	Taranpur To Ekdar Via Dhanaipur	2.200	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	145.025	126.735
16	Rajpur	Buxar-Sasaram Path To Katariya Via Hethuwa Sisrarah	9.050	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	825.213	722.198
17	Buxar	Nawanagar Karahansi Path Ramnagar To Betbandh	1.480	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	106.078	93.671
18	Buxar	Balua To Balua Pokhar	1.698	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	102.894	91.072

Scanned with OKEN Scanner

19	Buxar	Dhansoi Pakki Road To Mangolpur Noniyapur	3.600	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	224.059	196.733
20	Buxar	Chhotka Nuaon Vidhanchandra Roy Ke Ghar To Dubauli Gaon Nahar Pul	1.260	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	96.082	84.137
21	Buxar	Main Road At Central Jail Turkchakia Village Via Hawai Adda	1.450	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	92.329	80.55
22	Buxar	Dhansoi Dewasthpur Path Se To Karhansi Harijan Tola	1.830	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	115.529	102.083
23	Itarhi	Chilvila To Kadipur Bhelpur	3.380	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	216.166	188.508
24	Itarhi	Chausa Dhansoi Road To Alampur	1.300	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	84.339	73.471
25	Itarhi	Atrauna PMGSY Road To Atarauna Harijan Toli	1.800	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	122.793	106.882
26	Itarhi	Indore Tar To Indaur Gram	2.100	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	120.913	106.877
27	Itarhi	Buxar Dhansoi Basawn Kala Road To Itauna Ahir Tola	2.060	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	134.575	118.587
28	Itarhi	Chausa Dhansoi Road Kukuda Hote Huye To Jamuaon Tak	2.400	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	150.600	132.251
29	Itarhi	Buxar Dhansoi Main Road To Fatehpur	2.560	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	165.033	144.724
30	Itarhi	Buxar Itarhi Harpur Road To Harpur Noniya Toli	1.340	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	87.764	77.227
31	Itarhi	Chausa Dhansoi Road To Hakimpur Harijan Dera Toli	1.300	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	82.642	72.434
32	Chausa	Ishapur Kamkhya Path MMGSY To Ahir Tola	1.990	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	126.900	112.121
33	Chausa	Chausa Ramgarh Khirri Road Sagra Nekrish To Dharampura Kali Sthan Hote Hue Tiway	3.100	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	196.447	173.404
34	Simri	L044 Chhotka Rajpur Bazar Shgivala Se To Gurudev Nagar Hote Parnahi Siwan Tak	1.600	Letter N0-**2448** Date-**27.06.2025**	96.603	84.638

अनु0–स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन
ह0/–
मुख्य अभियंता–1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

ज्ञापांक:– 1293 पटना, दिनांक:– 19/07/2025

प्रतिलिपि:–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बक्सर** को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/07/25
मुख्य अभियंता–1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

T/S No 348
19/7/25

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नामः— परिशिष्ट **'क'** के स्तम्भ **02** के अनुसार।
प्रशासनिक स्वीकृतिः— परिशिष्ट **'क'** के स्तम्भ **05** के अनुसार।

विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट **'क'** के स्तम्भ **06** में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारत्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य **अंचल, आरा** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिश्चि करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार—प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगीः—
   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारीयों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जॉच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत समाग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वंय निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात हीं आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामाग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरांत हीं निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभिंयता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य से किसी भी तरह से **शीर्ष MMGSUY** योजना की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय—समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय—सीमा के अनुरूप हो।

Scanned with OKEN Scanner

21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ स्तर के अनुरूप हो।
22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन–।। के प्राबधान के अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यो का दर अनुसुचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारीयों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।
24. पूर्व में कराए गए कार्यो से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वंय कर प्रमाण–पत्र देगें।
27. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकड़ो को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत हीं कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।
29. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों को यथावत रखा गया है।
30. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण समाग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्डर इत्यादि) की ढुलाई निकटस्त अनुमोदित खादान से हीं देय होगी।
31. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहॉ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

विश्वासभाजन

19/03/25

मुख्य अभियंता–1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

Scanned with OKEN Scanner